

(मूलप्रति)



उत्तराखण्ड



लोक निर्माण विभाग

"वनभूमि"
स्थानरण पत्रावली

सिविल वृत्त लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग,
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग
ऊखीमठ-रुद्रप्रयाग,

परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में याज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-
किरोई-जाई-नैस-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

ग्राम:-

राजस्व उप नियंत्रक क्षेत्र-

तहसील:-

जनपद :-

क्षेत्रफल:-

जाई,

भीती

ऊखीमठ

रुद्रप्रयाग

1.400 हैं पंचायती वनभूमि मोटर मार्ग निर्माण हेतु।

0.660 हैं पंचायती वनभूमि मक डम्पिंग हेतु।

कुल वनभूमि = 2.06 हैं

आवश्यक प्रपत्रों की सूची (चैक लिस्ट)

नंसं	प्रपत्र का विषय	प्रष्ठ संख्या	संलग्न है / नहीं	संलग्न न होने का कारण
1	सक्षम अधिकारी / ऑन-लाईन प्रस्ताव प्रेषित करने हेतु नामित अधिकारी का प्रमाण—पत्र।	7	संलग्न है	
2	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र भाग—1, 2 तथा भाग—3	8-12	संलग्न है	
3	परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक सौचार्य।	13-16	संलग्न है	
4	सम्बन्धित विभागों द्वारा फैल्ड में सम्पन्न संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट	17-18	संलग्न है	
5	भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रस्ताव पर प्रस्तावीय बनाधिकारी की स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट (Site Inspection Report)	19	संलग्न है	
6	1:50,000 फैलाने का टॉपोग्राफी का मानचित्र जिसमें प्रस्तावित भूमि को अनल-अलग रूपों से दर्शाया गया हो।	20	संलग्न है	
7	डिजिटल मैप व सी०डी० में प्रस्तावित क्षेत्र को जी०पी०एस० रिपोर्ट के साथ दर्शाया गया हो।	21	संलग्न है	
8	मूल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण दर्शाया गया हो।	22	संलग्न है	
9	प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मांग का पूर्ण औचित्य को दर्शाते हुए एक विस्तृत आख्या।	23	संलग्न है	
10	गूगल मानचित्र जिसमें प्रस्तावित कार्य का पूर्ण विवरण अंकित हो तथा वैकल्पिक समरेखण एवं प्रस्तावित भूमि को पूर्ण रूप से दर्शाया गया हो।	21-22	संलग्न है	
11	वैकल्पिक समरेखण तलाशे जाने एवं उन्हें निरस्त किये जाने का कारण का तुलनात्मक विवरण।	24-29	संलग्न है	
12	वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने तथा वन भूमि की माँग न्यूनतम होने का प्रमाण—पत्र।	30	संलग्न है	
13	प्रभावित भूमि का लैण्ड शीड्यूल।	31-32	संलग्न है	
14	परियोजना की लम्बाई एवं चौड़ाई।	33	संलग्न है	
15	बार चार्ट।	34	संलग्न है	
16	कार्य आरम्भ न किये जाने का प्रमाण—पत्र।	35	संलग्न है	
17	प्रभावित होने वाले वृक्षों का प्रजातिवार / व्यासवार विवरण।	36-38	संलग्न है	
18	प्रभावित होने वाले वृक्षों का मूल्यांकन / सारांश।	39-40	संलग्न है	
19	वास्तविक रूप से काटे जाने वाले वृक्षों का विवरण।	41	संलग्न है	
20	बाँज प्रजाति के वृक्ष प्रभावित होने की दशा में सम्बन्धित वन संरक्षक की संस्तुति आख्या एवं प्रमाण—पत्र।	42		
21	वृक्ष प्रभावित न होने सम्बन्धी प्रमाण—पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
22	न्यूनतम वृक्षों के पातन किये जाने का प्रमाण—पत्र।	43	संलग्न है	
23	परियोजना स्थल का राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने एवं हवाई दूरी का प्रमाण—पत्र।	44		
24	मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक का अनापत्ति प्रमाण—पत्र। (वन्य जीव क्षेत्रों के लिये)	45		
25	राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रस्तावित कार्य करने से पूर्व मात्र उच्चतम न्यायालय एवं भारतीय वन्य जीव परिषद की अनुमति।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग राष्ट्रीय पार्कों / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।
26	प्रभावित ग्रामों की आम सभाओं का अनापत्ति प्रमाण—पत्र।	46-48	संलग्न है	
27	लागत लाभ विश्लेषण। (5 हेक्टेएर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित भाग 5 हेक्टेएर से कम है।
28	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाणपत्र	49-56	संलग्न है	
29	परियोजना के विभिन्न घटकों का मदवार विवरण। (केवल जल विद्युत परियोजनाओं हेतु)	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य जल विद्युत परियोजना नहीं है।
30	भवन निर्माण आदि प्रकरणों में ले-आउट प्लान।	—	संलग्न नहीं है	प्रस्तावित कार्य भवन निर्माण सम्बन्धित नहीं है।

31	परियोजना के निर्माण हेतु भू-वैज्ञानिक की आवश्या।	57-59	संलग्न है	
32	भू-वैज्ञानिक के सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाणपत्र।	60	संलग्न है	
33	पर्वतीय क्षेत्रों में टॉस्कफोर्स की संस्तुतियाँ मान्य होने का प्रमाणपत्र	61	संलग्न है	
34	मानक शर्तें मान्य होने का प्रमाण-पत्र।	62-63	संलग्न है	
35	प्रस्तावित स्थल धार्मिक/पौराणिक/एतिहासिक महत्व का होने अथवा न होने का प्रमाण-पत्र।	64	संलग्न है	
36	वन्य जीवों एवं वनस्पतियों को क्षति न पहुँचाये जाने का प्रमाणपत्र	65	संलग्न है	
37	परियोजना के निर्माण में कार्यस्त श्रमिकों को मिट्टी का तेल/कुकिंग गैस उपलब्ध कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	66	संलग्न है	
38	लाभान्वित होने वाले ग्रामों/जनसंख्या/परिवारों के विवरण का प्रमाण-पत्र।	67	संलग्न है	
39	जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित वन भूमि का वर्तमान मूल्य/लीज रेन्ट का प्रमाण-पत्र।	68	संलग्न है	
40	क्षतिपूरक वृक्षारोपण की 10 वर्षीय योजना का प्रावकलन मय मानचित्र। (1 हेक्टर से अधिक क्षेत्रफल के प्रकरणों में लागू)	69-71		
41	क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र।	72		
42	150,000 पैमाने का टोपोशीट का मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	73-74		
43	संगीन गूगल मानचित्र जिसमें क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल को दर्शाया गया हो।	75-76		
44	रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण/पथ वृक्षारोपण/दस गुना/बौनी प्रजातियों/100 वृक्षों के वृक्षारोपण का प्रावकलन।	77-79		
45	यदि गैर वन भूमि अथवा राजस्व भूमि की आवश्यकता हो तो भूमिधर का अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं भूमि धरों का भूमि धर होना का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं —	लागू नहीं
46	भूमिधर एवं प्रस्तावक विभाग के मध्य हुये अनुबन्ध।	—	—	— " —
47	मक डिस्पोजल की विस्तृत योजना, मानचित्र व उपचार कार्यों का प्रावकलन।	80-89	संलग्न है	
48	भारत सरकार के निर्देशानुसार देय एन०पी०वी० की धनराशि का आंकलन।	90	संलग्न है	
49	एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि होने पर बढ़ी हुई धनराशि का वन विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण-पत्र।	91	संलग्न है	
50	प्रत्यावर्तित वन भूमि का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन किये जाने का प्रावकलन।	92	संलग्न है	
51	लीज अवधि का प्रमाण-पत्र। (वन भूमि लीज पर दिये जाने/लीज नवीनीकरण के प्रकरणों में)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
52	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन न होने का ना होने का प्रमाण पत्र और होने की दशा में विवरण।	93	संलग्न है	
53	जल विद्युत परियोजना हेतु कैट प्लान (यदि लागू हो) व कैट प्लान की धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण-पत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
54	भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पर्यावरणीय स्वीकृति। (यदि लागू हो)	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है
57	कालातीत लीजों के नवीनीकरण हेतु प्रपत्र।	—	संलग्न नहीं है	लागू नहीं है

फैक्ट सीट

- 1- परियोजना का नाम:- जनपद रुद्रप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत बांसवाड़ा-किरोई-जलई-गैर-कण्डारा मोटर मार्ग का निर्माण।

2-प्रस्तावित भूमि का वैधानिक स्थिति के अनुसार क्षेत्रफल (हेक्टेर में)

आरक्षित वन भूमि	शून्य
राज्य भूमि	शून्य
नाप भूमि	1.800
वन पंचायत भूमि	1.400 हेक्टेर मोटर मार्ग हेतु + 0.660 हेक्टेर मक ड्रिप्पिंग हेतु = 2.06 हेक्टेर
योग	3.86 हेक्टेर

3-प्रस्तावक विभाग का नाम -

निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग ऊर्जामर्ग

4-वन प्रभाग का नाम -

रुद्रप्रयाग वन प्रभाग रुद्रप्रयाग

5-प्रस्ताव बांडिंग किया गया है -

हाँ/नहीं

6-प्रस्ताव में विषय सूची भवी नहीं है -

हाँ/नहीं

7-वया भारत सरकार के प्रारूप के भाग-1,2, व 3 के सभी

विन्दुओं की सूचना भवी नहीं है -

हाँ/नहीं

8- वया प्रारूप में वाहित स्थानों पर दिनांक व स्थान भरा गया है-

हाँ/नहीं

9-प्रस्तावित क्षेत्र की हरियाली का घनत्व दर्शाया गया है -

हाँ/नहीं

10- प्रस्तावित होने वाले वृक्षों की संख्या की सूची/प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

11-बाँज प्रजातियों के वृक्षों के प्रभावित होने की दशा में संबंधित वन संरक्षक का स्थलीय नियोक्ताण प्रमाण-पत्र संलग्न है-

हाँ/नहीं

12- प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या यदि अत्यधिक है तो प्रस्तावक विभाग द्वारा उन्हें कम करने का प्रयास किया गया है-

हाँ/ नहीं

13 - संमरेखण में आने वाले कुल वृक्षों की संख्या व वास्तविक रूप से काटे वाले वृक्षों की सूची संलग्न है। -

हाँ/नहीं

14 - वया वृक्षों की संख्या के अनुसार हरियाली का घनत्व सही है। -

हाँ/नहीं

15 - वया क्षतिपूरक वृक्षायोपण की विस्तृत योजना मय स्थल उपयुक्तता

प्रमाण - पत्र सहित प्रस्ताव में संलग्न है। -

हाँ/नहीं

16 - वया मानवित्र में क्षतिपूरक वृक्षायोपण स्थल को दर्शाया गया है। -

हाँ/नहीं

17 - प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर / परियोजना के आसपास इतका

पड़े स्थानों की वृक्षायोपण योजना संलग्न है। -

हाँ/नहीं

18 - वया परियोजना क्षेत्र जीवों के संरक्षण के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। -

हाँ/नहीं

19 - प्रस्तावित क्षेत्र छाती कोरीडोर का हिस्सा है। -

हाँ/नहीं

यदि हाँ तो मुख्य जीव प्रतिपातक का प्रमाण पत्र संलग्न है। -

हाँ/नहीं

20 - वया प्रस्ताव का क्षेत्रफल सभी प्रपत्रों में सही भरा है। -

हाँ/नहीं

21 - प्रस्तावित मार्ग नया प्रस्तावित है अथवा पूर्व निर्मित मार्ग से आगे निर्माण किया जाना है। -

हाँ/नहीं


(यदि पूर्व निर्मित मार्ग से आगे बढ़ाया जाना है तो पूर्व जारी तो भारत सरकार की स्वीकृति की प्रति संलग्न करें)

हाँ/नहीं

22 - वया मानवित्र में प्रभावित विभिन्न प्रकार की भूमि को अलग-2 रगों से भरा गया है। -

हाँ/नहीं

- 23 - यदि सड़क का आर्योग्य विन्दु किसी मार्ग से है तो उस मार्ग को मानचित्र पर दर्शाया गया है। - हाँ/नहीं
- 24 - क्या प्रस्तावित परियोजना में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन हुआ है - हाँ/नहीं
- 25 - यदि उल्लंघन हुआ है तो पूरण स्थिति वर्णित करते हुये दोषी अधिकारियों / कर्मचारियों के नाम एवं उनके विरुद्ध की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न किया जाय।
- 26 - सड़क निर्माण हेतु तताशी जैव अन्य सम्भावनायों / वैकल्पिक समरेखण मानचित्र पर दर्शाये गये हैं। - हाँ/नहीं
- 27 - वैकल्पिक समरेखणों को निरस्त करने का कारण (एक विस्तृत नोट संलग्न किया जाय)
- 28-लागत लाभ विच्छेपण मात्रात्मक रूप में प्रस्तुत है हाँ/नहीं
- (5.00 है. से अधिक के प्रकरणों में लाभ होगा)
- 29-मानचित्र व वारचार्ट में एकरूपता है हाँ/नहीं
- 30-मलवे के निस्तारण की योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है हाँ/नहीं
- अथवा
- मलवे के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र संलग्न है हाँ/नहीं
- 31-याज्य सरकार द्वारा लगाई जाने वाली शर्तों का प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है हाँ/नहीं
- 32-क्या प्रस्ताव में संलग्न प्रमाण-पत्रों की फोटो प्रतियां मूल में संलग्न हैं हाँ/नहीं
- यदि छायाप्रतियाँ संलग्न की गई हैं तो क्या वे सत्यापित हैं-
- 33-यदि वन भूमि लीज पर दी जानी है तो लीज अवधि का प्रमाण-पत्र संलग्न है- हाँ/नहीं
- 34-वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति संलग्न है हाँ/नहीं
- 35-क्या प्रस्ताव के सभी प्रमाण-पत्रों में परियोजना का नाम अंकित है- हाँ/नहीं
- 36-क्या चैक लिस्ट के अनुसार सभी प्रमाण-पत्र संलग्न हैं- हाँ/नहीं
- प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव उक्त फैक्ट शीट एवं चैक लिस्ट के अनुसार गठित किया गया है
- व समस्त प्रमाण-पत्र / सूचनाएं संलग्न कर दी गई है


निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (छद्गप्रयाग)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (छद्गप्रयाग)


अधिशास्त्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
ऊर्ध्वीमठ (छद्गप्रयाग)

